HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 12281/2025

Pratap Kumar Samal S/o Mathuranand, Aged About 46 Years, R/o Flat No. 206, Gopiakuda, Jgatsingpur, P.s. Kunjang, District Jagatsinghpur,(oddisa), At Present R/o Swarnlata Apartment Flat No. 206, Rasulgarh,p.s. Sahed Nagar, District Khorda, Bhuneswar, Oddisa

(Presently Lodged In Central Jail, Jodhpur)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor

----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Dinesh Kumar Godara
For Respondent(s) : Mr. Urja Ram Kalbi, Addl. G.A.

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

1.	**Arguments Concluded On:**	**19.03.2026**
2.	**Judgment Reserved On:**	**19.03.2026**
3.	**Full Judgment/Operative Part Pronounced:**	**Full Judgment**
4.	**Pronounced On:**	**27.03.2026**

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना सदर कोतवाली में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 78/2024 अपराध अन्तर्गत धारा 316(2), 318(4) भारतीय न्याय संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 20.05.2025 के माध्यम से विस्तृत आदेश कर खारिज किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 11.02.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है,

उसके विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है और उस पर आरोप विरचित किए जा चुके हैं। एक भी साक्षी के बयान लेखबद्ध नहीं हुए हैं। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा यह कहते हुए साक्षीगण के बयान लेखबद्ध नहीं करवाए गए हैं कि धारा 193(9) बीएनएसएस में अनुसंधान लंबित है। प्रार्थी/अभियुक्त अनावश्यक न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है, उससे कोई बरामदगी की जानी शेष नहीं है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी/अभियुक्त का द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर परिवादी को डिजिटल अरेस्ट के भय में डालकर धोखाधड़ी एवं बेईमानीपूर्ण आशय से ऑनलाइन रुपयों को अपनी फर्म के बैंक खाते में ट्रांसफर करवाए हैं। अतः प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैंने उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में परिवादी मोहम्मद शाकीर गोरी ने घटना की रिपोर्ट में घटना के संबंध में विस्तृत तथ्य कहे हैं और घटना के तथ्यों के आधार पर परिवादी को डिजिटल अरेस्ट कर उसके बैंक में जमा उसकी जिंदगी भर की जमापूंजी की राशि बेईमानीपूर्वक साइबर फ्रॉड करने वाले अपराधियों ने ले ली। अनुसंधान के दौरान यह तथ्य सामने आया है कि प्रार्थी/अभियुक्त और उसकी पत्नी सुभासिनी समल की पाटनर्शिप फर्म ''M/s. Omm Shree Enrerprises, Flat, No 20 Swarnalata, Apartment Rasulgarh, Square, Rasulgarh Khordha' Bhubaneswar Odisha India 751010" के आईसीआईसी बैंक खाते में 2 बार प्रथम बार 4,83,215/– रुपए व दूसरी बार 4,22,649/–रुपए इस प्रकार कुल 09,05,864/–रुपए प्राप्त हुए। परिवादी से जो साइबर ठगी की गई, उस साइबर ठगी में से उक्त रुपए प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्राप्त किए गए हैं। इस न्यायालय द्वारा दिनांक

20.05.2025 को प्रार्थी/अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 बीएनएसएस निस्तारित किया गया था, उसके पश्चात तथ्यों और परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं आया है। साइबर अपराध अत्यधिक बढ़ रहे हैं और किसी व्यक्ति की जमापूंजी को उसको डरा–धमकाकर डिजिटल अरेस्ट कर साइबर अपराध करना एक अत्यंत गंभीर प्रकृति का अपराध माना जा सकता है।

परिवादी ने घटना की रिपोर्ट में उसको साइबर अरेस्ट किए जाने के संबंध में जो तथ्य कहे हैं, उन तथ्यों व प्रार्थी/अभियुक्त के बैंक खाते में उक्त साइबर फ्रॉड राशि के जमा होने के तथ्य तथा प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना इस प्रक्रम पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

इस प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 11.02.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। दिनांक 31.05.2025 को प्रार्थी/अभियुक्त को विद्वान विचारण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 3, जोधपुर महानगर द्वारा अपराध अंतर्गत धारा 318(4), 127(2), 308(6), 319(2) बीएनएस एवं 61(2) एवं 66 (डी) सूचना प्रौद्योगिकी के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया। प्रार्थी/अभियुक्त ने आरोप करने से इनकार कर अन्वीक्षा चाही। विद्वान विचारण न्यायालय ने साक्षी संख्या 1 से 4 को जरिये सम्मन तलब किए जाने का आदेश देकर पत्रावली दिनांक 13.06.2025 नियत की। आदेशिका के अवलोकन के आधार पर दिनांक 13.06.2025 को तत्पश्चात आदेश दिनांक 26.06.2025, 10.07.2025, 23.07.2025 को न्यायालय के आदेश की पालना में संबंधित लिपिक द्वारा कोई तामील जारी नहीं की गई। उक्त तामील जारी नहीं किए जाने के संबंध में संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा कोई प्रभावी आदेशिका नहीं लिखी गई। संबंधित लिपिक से स्पष्टीकरण लेकर कोई आवश्यक कार्यवाही नहीं की गई। तत्पश्चात दिनांक 14.08.2025 की आदेशिका की पालना में लिपिक द्वारा तामील जारी की गई। उक्त आदेश की पालना में

दिनांक 27.08.2025 को परिवादी मोहम्मद शाकीर गोरी उपस्थित हुआ, लेकिन अभियुक्तगण चंद्रशेखर एवं सुभासिनी के संबंध में धारा 193(9) बीएनएसएस के तहत प्रकरण लंबित रहना बताते हुए पीठासीन अधिकारी ने पत्रावली इंतजार रिपोर्ट (अभियोजन साक्ष्य) में दिनांक 10.09.2025 नियत कर दी। दिनांक 27.08.2025 को साक्षी/परिवादी के बयान लेखबद्ध नहीं किए जाने का कोई कारण पीठासीन अधिकारी ने अपनी आदेशिका में अंकित नहीं किया है। दिनांक 10.09.2025 को भी पत्रावली इंतजार रिपोर्ट में दिनांक 23.09.2025 नियत की गई। दिनांक 23.09.2025 को साक्षी/परिवादी उपस्थित हुआ था। उक्त तारीख को भी साक्षी के बयान परिवादी अधिवक्ता द्वारा आरोप पत्र की नकल प्राप्त नहीं होने के आधार पर स्थगित कर दिए गए और प्रकरण में तितम्बा (पूरक) आरोप पत्र प्रस्तुत करने हेतु थानाधिकारी को नोटिस जारी करने हेतु पत्रावली दिनांक 06.10.2025 नियत कर दी। दिनांक 17.10.2025 को साक्षी संख्या 1 से 3 को तलब किया गया और उस आदेश की पालना में तामील जारी हुई लेकिन तामील लौटकर आई या नहीं आई, यदि नहीं लौटकर आई तो उस पर क्या प्रभावी कार्यवाही साक्षीगण की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु की गई, के संबंध में कोई प्रभावी आदेशिका संबंधित पीठासीन अधिकारी ने दिनांक 30.10.2025 को लेखबद्ध नहीं की। तत्पश्चात पत्रावली दिनांक 12.11.2025 को नियत की गई। दिनांक 12.11.2025 के पश्चात दिनांक 18.12.2025 की आदेशिका प्रस्तुत हुई है। दिनांक 18.12.2025 के पश्चात दिनांक 24.12.2025, दिनांक 06.01.2026, दिनांक 19.01.2026 को साक्षीगण को तलब किए जाने का आदेश दिया गया, लेकिन संबंधित लिपिक द्वारा तामील जारी नहीं की गई। इस संबंध में संबंधित पीठासीन अधिकारी ने भी संबंधित लिपिक द्वारा तामील जारी नहीं किए जाने के संबंध में कोई प्रभावी आदेशिका नहीं लिखी और रूटीन में तारीख पेशी नियत कर दी। दिनांक 31.01.2026 को साक्षीगण को तलब किए जाने का आदेश दिया गया, जिसकी पालना में तामील जारी की गई। तत्पश्चात दिनांक 13.02.2026 को क्या कार्यवाही हुई, उसकी आदेशिका प्रस्तुत नहीं हुई है। पत्रावली के

अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 18.12.2025 को केवल मात्र पीडब्ल्यू 1 चैनसिंह भाटी के बयान लेखबद्ध किए गए।

इस प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 11.02.2025 से अर्थात् करीबन 1 वर्ष से अधिक समय से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। दिनांक 31.05.2025 को आरोप विरचित किए जाने के पश्चात पीठासीन अधिकारी द्वारा यह नहीं देखा जा रहा है कि साक्षीगण की तामील क्यों नहीं हो पा रही है, वरन उनके द्वारा रूटीन में तारीख पेशी दी जा रही है। न्यायालय के आदेश की पालना नहीं किए जाने पर संबंधित फौजदारी लिपिक के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही भी पीठासीन अधिकारी द्वारा अमल में नहीं लाई गई है। साक्षीगण की तामील के युक्तियुक्त और सार्थक प्रयास संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा नहीं किए गए हैं। जिसके कारण से प्रार्थी/अभियुक्त अनावश्यक रूप से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। साक्षीगण को तलब किया जाना तत्पश्चात अन्य सहअभियुक्तगण की तितम्बा आरोप पत्र के इंतजार में पत्रावली पर रखा जाना, तत्पश्चात पुनः साक्षीगण के तामील में पत्रावली रखना और प्रभावी आदेशिका साक्षीगण की तामील हेतु जारी नहीं करना और रूटीन में तारीख पेशी दिया जाना प्रथमदृष्ट्या तत्कालीन पीठासीन अधिकारी अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही मानी जा सकती है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विनिश्चय "**Arvind Dham versus Directorate of Enforcement"** 2026 LiveLaw (SC) के पैरा क्रमांक 18 में निम्न अभिमत व्यक्त किया है।

> *"18. The right to speedy trial, enshrined under Article 21 of the Constitution, is not eclipsed by the nature of the offence. Prolonged incarceration of an undertrial, without commencement or reasonable progress of trial, cannot be countenanced, as it has the effect of converting pretrial detention into form of punishment.*

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे प्रार्थी/अभियुक्त के प्रकरण का त्वरित निस्तारण किया जाना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है। इस प्रकरण में संबंधित तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे अभियुक्त के प्रकरण के त्वरित निस्तारण के संबंध में कोई प्रभावी आदेशिका नहीं लिखी गई है। तामील जारी करने वाले लिपिक द्वारा जारी नहीं किए जाने और तामील जारी करने की स्थिति में तामील लौटकर आने या नहीं आने के संबंध में भी कोई प्रभावी आदेशिका नहीं लिखी गई है और रूटीन में प्रार्थी/अभियुक्त की न्यायिक अभिरक्षा की अवधि को बढ़ाया गया है, जबकि इस संबंध में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे अभियुक्तों के त्वरित निस्तारण के संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय के विभिन्न परिपत्र होने व विधिक प्रावधान होने के बावजूद तत्कालीन संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे अभियुक्त के प्रकरण के त्वरित निस्तारण के संबंध में कोई सार्थक और युक्तियुक्त प्रयत्न नहीं किए गए हैं। ऐसी स्थिति में आदेश की प्रति रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय को प्रेषित कर इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष प्रकरण रखा जावे।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त **प्रताप कुमार सामल पुत्र मथुरानंद** की ओर से प्रस्तुत यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 बीएनएसएस अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आदेश की प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को इस आदेश के साथ प्रेषित की जावे कि प्रत्येक पेशी पर प्रभावी आदेशिका लेखबद्ध कर साक्षीगण की उपस्थिति सुनिश्चित करने का प्रयास कर, प्रकरण के त्वरित गति से निस्तारण का प्रयास करे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

KISHAN SONI /Res.